



पत्रांक – 328/उ0शि0नि0म0/अल्मोड़ा।

दिनांक :- 30.11.2023

श्री महेन्द्र कुमार,
वरिष्ठ विधि अधिकारी
उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड
विक्टोरिया क्रास विजेता, गबर सिंह ऊर्जा भवन,
कांवली रोड, देहरादून – 248001
ई-मेल – webadmin@upcl.org एवं cgrf9ocupcl@gmail.com

विषय :- मा0 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचो द्वारा प्रतिमाह पारित आदेशों के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 1438MK/म0प्र0(विधिक) एवं क0स0/उपाकालि/ दिनांक 05.10.2023 के अनुपालन में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच अल्मोड़ा में निम्नलिखित लम्बित प्रकरणों में पारित अन्तिम आदेशों की PDF फाइल आपके द्वारा पत्र में उल्लिखित ई-मेल webadmin@upcl.org एवं cgrf9ocupcl@gmail.com पर आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जा रही है।

कृपया उपरोक्त का संज्ञान लें।

संलग्न :- निम्न वादों में पारित अन्तिम आदेशों की प्रतिलिपि।

वाद संख्या (पिथौरागढ़)- CG05/2023-24, CG09/2023-24, CG12/2023-24, CG14/2023-24, CG20/2023-24, CG194/2023-24

कुल – 06

(चामू सिंह गस्याल)
न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

अल्मोड़ा

उपस्थिति

- 1- चामू सिंह गस्याल, सदस्य-न्यायिक
- 2- ओपी दीक्षित, सदस्य-तकनीकी
- 3- पुष्कर सिंह रावत, सदस्य-उपभोक्ता

परिवाद संख्या- 05/2023--24 (पिथौरागढ़)

श्री भुवन चंद्र जोशी
रोडवेज स्टेशन,
पिथौरागढ़

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनका बिल विद्युत उपभोग से ज्यादा आ रहा है तथा इसको ठीक किया जाए। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 231 दिनांक 20.07.2023 के द्वारा अधिशाली अभियंता पिथौरागढ़ को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि 13.10.2023 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी की तरफ से उपस्थित श्री अमित चंद उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि वादी का मीटर ठीक है और उनकी सही बिलिंग हो रही है। इस बारे में वादी के दूरभाष संख्या 9639170090 पर उनका पक्ष जानने के लिये संपर्क किया गया। वादी ने बताया कि उनका मीटर ठीक है और वह कोई चैक मीटर नहीं लगवाना चाहते तथा उनको अब कोई शिकायत नहीं है।

आदेश

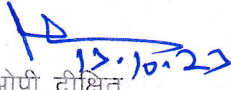
वादी द्वारा मीटर के बारे में संतुष्टि व्यक्त करने के पश्चात प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

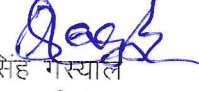
दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 13.10.2023


पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य-उपभोक्ता


ओपी दीक्षित
सदस्य-तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य-न्यायिक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

अल्मोड़ा

उपस्थिति

- 1- चामू सिंह गस्याल, सदस्य--न्यायिक
- 2- ओपी दीक्षित, सदस्य--तकनीकी
- 3- पुष्कर सिंह रावत, सदस्य--उपभोक्ता

परिवाद संख्या- 09/2023--24 (पिथौरागढ़)

श्री नीलम चंद्र खर्कवाल
ग्राम बड़डा
पिथौरागढ़

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके मकान की छत से 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन गई है जिसका अर्थ का तार उनकी छत पर बैठ गया है। जिसके कारण मकान में करंट आ रहा है और दुर्घटना की संभावना है। उन्होंने अर्थ के तार के समाधान के लिये निवेदन किया है। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 258 दिनांक 16.09.2023 के द्वारा अधिशाली अभियंता पिथौरागढ़ को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 13.10.2023 में प्रतिवादी की तरफ से उपस्थित श्री अमित चंद्रा उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि वादी की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है तथा इस संदर्भ में उन्होंने वादी द्वारा लिखित दिनांक 23.09.2023 के पत्र की प्रतिलिपि पेश की है जिसमें कहा गया है कि अर्थ वायर संतोषजनक तरीके से छत से दूर कर दिया है तथा अब उनकी कोई शिकायत नहीं है।

आदेश

विभाग द्वारा समस्या के निराकरण करने तथा वादी द्वारा अपनी शिकायत वापस लेने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 13.10.2023

पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य--उपभोक्ता

ओपी दीक्षित
सदस्य--तकनीकी

चामू सिंह गस्याल
सदस्य--न्यायिक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

अल्मोड़ा

उपस्थिति

- 1— चामू सिंह गस्याल, सदस्य—न्यायिक
- 2— ओपी दीक्षित, सदस्य—तकनीकी
- 3— पुष्कर सिंह रावत, सदस्य—उपभोक्ता

परिवाद संख्या— 12/2023--24 (पिथौरागढ़)

श्री बसंत सिंह तड़ागी
ग्राम निकट पोस्ट ऑफिस
वार्ड भैरवां, चंपावत

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चंपावत

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनका बिल अधिक आया है जबकि उनके द्वारा लगाए गए सोलर वाटर गीजर पर सब्सीडी दी जा रही है। उन्होंने बिल को ठीक करने के लिये निवेदन किया है। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 261 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा अधिशाली अभियंता चंपावत को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि 13.10.2023 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी की तरफ से उनके पत्र संख्या 1381 दिनांक 10.10.2023 के द्वारा सूचित किया गया कि वादी का बिल, सोलर वाटर हीटर रिबेट को संयोजन संख्या सीएच12271057116 की जगह सही संयोजन संख्या सीएच12271280725 पर संशोधित कर रूपए 249.87 का दे दिया गया है। इस संबंध में वादी द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 13.10.2023 के माध्यम से संतुष्टी व्यक्त की गई है।

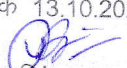
आदेश

विभाग द्वारा वादी को संशोधित बिल प्रदान करने तथा वादी द्वारा इस संबंध में संतुष्टि व्यक्त करने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

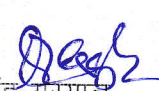
दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 13.10.2023


पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य—उपभोक्ता


ओपी दीक्षित
सदस्य—तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य—न्यायिक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

अल्मोड़ा

उपस्थिति

- 1- चामू सिंह गस्याल, सदस्य-न्यायिक
- 2- ओपी दीक्षित, सदस्य-तकनीकी
- 3- पुष्कर सिंह रावत, सदस्य-उपभोक्ता

परिवाद संख्या- 14/2023-24 (पिथौरागढ़)

श्री पिताम्बर दत्त भट्ट
ग्राम पंचकाकड़िया, बनबसा
चंपावत

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
चंपावत

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनका बिल मीटर को उपयोग में लाए बिना आया है क्योंकि बीमारी के कारण वह रुड़की चले गए थे और उन्होंने मीटर उतार लिया था। उन्होंने इस दौरान बिल को ठीक कर अपनी जमानत राशि वापस करने के लिये निवेदन किया है। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 266 दिनांक 18.09.2023 के द्वारा अधिशाली अभियंता चंपावत को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि 13.10.2023 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी की तरफ से पत्र संख्या 1394 दिनांक 10.10.2023 के द्वारा सूचित किया गया कि वादी की शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। इस संबंध में वादी द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 10.10.2023 के द्वारा सूचित किया है कि उनका बिल संशोधन करके कनेक्शन को हटा लिया गया है और वह अपनी शिकायत को वापस लेते हैं।

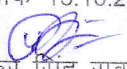
आदेश

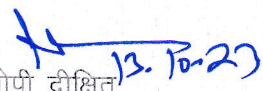
वादी द्वारा उनकी शिकायत का निराकरण होने तथा शिकायत वापस लेने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

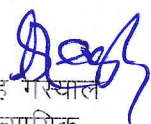
दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 13.10.2023


पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य-उपभोक्ता


ओपी दीक्षित
सदस्य-तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य-न्यायिक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

अल्मोड़ा

उपस्थिति

- 1- चामू सिंह गस्याल, सदस्य--न्यायिक
- 2- ओपी दीक्षित, सदस्य--तकनीकी
- 3- पुष्कर सिंह रावत, सदस्य--उपभोक्ता

परिवाद संख्या-- 20/2023--24 (पिथौरागढ़)

श्री देवीलाल शाह
पुत्र श्री शेर सिंह
ग्राम उसैल, पो.देवलथल
पिथौरागढ़

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनका बिल खपत से ज्यादा आ रहा है तथा इसको संशोधित कर सही बिल दिया जाए। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 277 दिनांक 03.10.2023 के द्वारा अधिशाली अभियंता पिथौरागढ़ को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 13.10.2023 में वादी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी की तरफ से उपस्थित श्री अमित चंद्रा उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि वादी के बिल खपत के अनुसार रीडिंग आधारित निर्गत किये जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वादी द्वारा अपने पत्र द्वारा शिकायत वापस लेने का निवेदन किया है जिसकी प्रतिलिपि उन्होंने मंच के समक्ष प्रस्तुत की है।

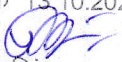
आदेश

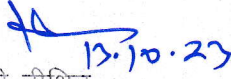
वादी द्वारा अपनी शिकायत वापस लेने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 13.10.2023


पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य--उपभोक्ता


ओपी दीक्षित
सदस्य--तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य--न्यायिक

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

अल्मोड़ा

उपस्थिति

- 1- चामू सिंह गस्याल, सदस्य--न्यायिक
- 2- ओपी दीक्षित, सदस्य--तकनीकी
- 3- पुष्कर सिंह रावत, सदस्य--उपभोक्ता

परिवाद संख्या- 194/2023-24 (पिथौरागढ़)

श्री प्रेम राम
ग्राम उड़ई, पो.देवलथल
पिथौरागढ़

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़

निर्णय

1. शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनका बिल मीटर जम्प होने की वजह से अधिक आ रहा है। उन्होंने बिल को ठीक करने के लिये निवेदन किया है। उपरोक्त प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 52 दिनांक 25.05.2023 के द्वारा अधिशाली अभियंता पिथौरागढ़ को आख्या प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया था।
2. मंच की सुनवाई तिथि 15.09.2023 में वादी की तरफ से श्री दीपक कुमार पुत्र श्री प्रेमराम, वादी तथा विभाग की तरफ से श्री अमित चंद उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता की शिकायत पर एमआरआई करने के बाद 8163 यूनिट का बिल दिनांक 01.06.2022 से दिनांक 01.05.2023 तक, दिनांक 06.06.2023 को रूपए 47790 का निर्गत किया गया था। उन्होंने बताया कि मीटर बदले जाने की तिथि दिनांक 09.02.2017 से दिनांक 06.06.2023 तक निर्गत बिलों को स्लॉट वाइज तथा तत्कालीन टैरीफ का लाभ देते हुए 16517 रूपए का समायोजन करने के बाद यह धनराशि 47790 से घटकर रूपए 31273 आती है। वादी ने इतनी बड़ी धनराशि एकमुश्त जमा करने में असमर्थता व्यक्त की। वादी के अनुरोध पर एकमुश्त 6000 रूपए जमा करने तथा शेष धनराशि प्रति बिलिंग चक्र 1 हजार रूपए, करंट बिल के साथ भुगतान करने की अनुमति दी गई।
3. मंच की सुनवाई तिथि दिनांक 13.10.2023 में विभाग की तरफ से उपस्थित उपखण्ड अधिकारी श्री अमित चंद ने बताया कि वादी द्वारा मंच के निर्देशानुसार एकमुश्त 6000 रूपए जमा कर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पिछली सुनवाई तिथि दिनांक 15.09.2023 को त्रुटिवश एमआरआई की जगह चैक मीटर का विवरण बता दिया गया था। इसके लिये उन्हें खेद है। उन्होंने बताया कि मीटर की एमआरआई के आधार पर मीटर सही पाया गया है तथा वादी को रीडिंग आधारित बिल निर्गत किये जा रहे हैं।

आदेश

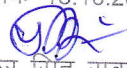
विभाग द्वारा विवादित बिलों को स्लॉटवाइज तथा तत्कालीन टैरीफ का लाभ देते हुए एवं रूपए 16517 का समायोजन करने के पश्चात बिल राशि में 47790 से 31273 रूपए का संशोधन कर दिया है जिसे

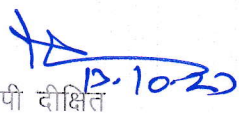
वादी ने स्वीकार कर लिया है। वादी ने 6000 रूपए जमा करा दिये हैं तथा शेष धनराशि को प्रति बिलिंग चक 1000 रूपए, करंट बिल के साथ जमा कराते रहेंगे। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त धनराशि जमा कराने के दौरान अवशेष धनराशि पर कोई एलपीएस ना लगाया जाए। उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

दोनों पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 13.10.2023


पुष्कर सिंह रावत,
सदस्य-उपभोक्ता


ओपी दीक्षित
सदस्य-तकनीकी


चामू सिंह मस्थाल
सदस्य-न्यायिक